


# फर्द अहकाम

घासीलाल वगै० बनाम सोनू मीना वगै०

क्र संख्या: 60 / 2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21.02.2024	<p>वकील वादीगण ने दावा बावत् रथाई निपेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 21.03.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उप-खण्ड अधिकारी</b> <b>जयपुर द्वितीय</b></p>	<p><b>नोटिस जारी</b> <u>11/3-22</u> 21/3/24</p>
21/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। हाफिवस्ता वकील उपांग प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर 21/3/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उप-खण्ड अधिकारी</b> <b>जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</b></p>	
8/5/24	<p><del>पत्रावली पेश हुई। हाफिवस्ता वकील उपांग प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर 21/3/24 को पेश हो।</del></p> <p>उप-खण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	
31/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। हाफिवस्ता वकील उपांग प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर 21/3/24 को पेश हो।</p> <p>उप-खण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	<p style="text-align: center;"><b>नोटिस जारी</b> 31/5/24</p> 

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.  
प्रार्थना पत्र संख्या : 60/2024  
निर्णय दिनांक : 31.05.2024

1. घासीलाल पूत्र काना
  2. लालाराम पूत्र जगदीश रामस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बूहारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०।
- वादीगण

- वनाम
1. सोनू मीना पत्नी मोहन कुमार मीना जाति मीना निवासी ए 206 त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास रोड जयपुर राज०।
  2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

वादी ने वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की आराजी भूमि खसरा नंबर 100/2 रकबा 0.02 है०, खसरा नंबर 224 रकबा 0.07 है०, खसरा नंबर 225 रकबा 0.19 है०, खसरा नंबर 226 रकबा 0.19 है०, खसरा नंबर 227 रकबा 0.22 है० कुल किता 05 कुल रकबा 0.69 है०, वाके ग्राम जयसिंहपुरा बूहारिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें आराजी से संबोधित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 100/2 स्थित, वाके ग्राम जयसिंहपुरा बूहारिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादीगण के स्वामित्व, कब्जे में दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही वादीगण कि भूमि के फर्जी साईट प्लान बनाकर भुखण्डो में बेचान करे, ऐसा कार्य प्रतिवादी संख्या 01 ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। दिनांक 08.05.2024 को पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद रजिस्टर्ड

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नोटिस तामिल उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 100/2 स्थित, वाके ग्राम जयसिंहपुरा बुहारिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादीगण के स्वामित्व, कब्जे में दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही वादीगण कि भूमि के फर्जी साईट प्लान बनाकर भुखण्डो में बेचान करे, ऐसा कार्य प्रतिवादी संख्या 01 ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

बहस वादी अधिवक्ता एवं वाद पत्र का अवलोकन कराने पर वादी की ओर से पेश वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 स्वीकार किया जाता है। वादीगण की निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान हेतु सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र तहसीदार सांगानेर को पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो वादीगण की ओर से पेश सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 100/2 स्थित, वाके ग्राम जयसिंहपुरा बुहारिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान करे, दौराने सीमाज्ञान कानून व्यवस्था का ध्यान रखा जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान होने के पश्चात् वादी की भूमि की सीमाओं पर दखल नहीं दें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(हस्मत सिंह) अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

जयपुर-द्वितीय, (सांगानेर)

.जयपुर